न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम्, गोपालगंज

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1462/2026

राजतिलक बनाम सरकार

17.06.2026 आवेदक **राजतिलक** की ओर से यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिन्हें **श्रीपुर थाना कांड सं0–129/2026, अंतर्गत धारा–317(2), 317(4), 317(5) बी.एन.एस. एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा–11(A), 11(D), 11(E), 11(G)** से संबंधित है। में गिरफ्तारी की आशंका है, उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार तथा सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

अभियोजन मामले का संक्षेप में कथन है कि श्रीपुर थानाध्यक्ष (सूचक) के द्वारा दिनांक 19.05.2026 को समय 03:30 बजे थान में प्रतिनियुक्त गृहरक्षक इरफान अली एवं इमरान आलम के साथ वाहन से विशेष छापामारी एवं वाहन जांच हेतु प्रस्थान किया। समय करीब 04:30 बजे मिश्र बतरहा चौराहा पर वाहन जांच कर रहे थे तभी एक पिकअप भोरे की तरफ से आया जिसे रोकने का इशारा किया तो भागने की कोशिश किया जिसे गस्ती दल के सहयोग से रोक लिया गया। पिकअप से चालक एवं एक अन्य व्यक्ति उतरकर भागने लगे जिन्हें बल के सहयोग से पकड़ लिया गया अधिक रात्रि होने के कारण कोई स्वतंत्र व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं मिले ऐसी स्थिति में दल के साथी को साक्षी बनाया तथा उनके समक्ष पकड़ाये व्यक्तियों का नाम और पता पूछा तो वह अपना–अपना नाम विशाल मिश्रा, आदर्श सिंह बताया उक्त दोनों के पास से तलाशी में स्मार्ट फोन पाया गया तथा भागने का कारण पूछा तो बताये कि पिकअप में मवेशी हैं। तत्पश्चात पिकअप का डाला विधिवत तलाशी लिया गया उस पर काले रंग की तीन गाय, उजला रंग की दो गाय कुल पांच मवेशी का पैर एवं मुंह क्रूरता पूर्वक बांधकर लादा गया था। वाहन तथा उस पर लदे मवेशी का कागजात मांगने पर कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किये जिससे स्पष्ट हुआ कि उक्त मवेशी चोर कर तस्करी हेतु ले जा रहे थे। तत्पश्चात विधिवत जप्ती सूची बनाया। मवेशी मालिक के बारे में पूछा तो चालक ने बताया कि पिकअप में लदा मवेशी ऋषि पाल के द्वारा लादा गया है। बिहार बार्डर से सिवान तक की लाईनिंग स्वयं ऋषि पाल एवं मनीष कुमार तथा इस पिकअप के मालिक राजतिलक का रिस्तेदार मुकेश कुमार तीनों स्कार्पियो से करते हैं तथा आगे खुर्शेद आलम स्कार्पियो से करते हैं उसी क्रम में एक स्कार्पियो भोरे की तरफ से आ रही थी जिसे रोककर पूछताछ किया गया तो उसमें जो व्यक्ति था वह अपन नाम खुर्शेद आलम बताया तथा बोला कि मवेशी की लाईनिंग करता हूं जिसके एवज में 3000 रुपया प्रति खेप मिलता है तथा वह कहता है कि बुधन, रिवान, पुलिस उर्फ पप्पू, एकलाख, पप्पू के साथ मिलकर हम लोग तस्करी का काम करते हैं। तत्पश्चात विशाल मिश्रा, आदर्श सिंह, ऋषि पाल, मनीष कुमार, मुकेश कुमार, खुर्शेद आलम, बुधन, रिजवान, पुलिस उर्फ पप्पू, एकलाख, पप्पू, एवं जप्त स्कार्पियो और पिकअप के स्वामी के विरुद्ध औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई।

लगातार..

17.06.2026

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में कोई भी नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में दाखिल किया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झुठे केस में फंसाया गया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। मवेशी चोरी की शिकायत किसी ने नहीं की है। आवेदक पिकअप का स्वामी मात्र है जिसका उपयोग वह केवल व्यावसायिक उद्देश्यों से करता है। लदे हुये माल अथवा अपराध की संलिप्तता के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं थी। शंका के आधार पर आवेदक को फसाया गया है। आदतन अपराधी होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। गंदी राजनीति के चलते आवेदक को झूठा फसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध धारा–317(4) बी.एन.एस नहीं बनता है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं तथा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय धाराओं में केस दर्ज किया गया है जिससे गिरफ्तारी की आशंका है इसीलिए आवेदकगण यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किए हैं। आवेदक उचित बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त केस की प्राथमिकी आवेदक सहित कुल 13 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–317(2), 317(4), 317(5) बी.एन.एस. एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा–11(A), 11(D), 11(E), 11(G) दर्ज कराया गया है। आवेदक पर आरोप है कि वह मवेशी लदे पिकअप वैन के स्वामी हैं। जिन्हें तलाशी के दौरान पकड़ा गया। काण्ड दैनिकी की कंडिका 3, 4, 5 में वादी एवं साक्षियों का बयान है जिसमें सक्षियों ने पिकअप पर मवेशी लदे होने की बात का कथन किया है। केस डायरी के साथ संलग्न जब्ती सूची से यह स्पष्ट है कि जब्ती सूची के सभी साक्षी पुलिस बल के सदस्य हैं। मोबाइल फोन बरामद होने की बात भी कही गई है। केस डायरी में वर्णित सूचक एवं अन्य साक्षी सभी पुलिस बल के सदस्य हैं और पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तार करने की बात कही गई है। काण्ड दैनिकी के कंडिका 30 में सत्यापन के दौरान आवेदक का नाम प्रकाश में आया है। आवेदक का यह कथन है कि वह व्यावसायिक उपयोग हेतु भाड़े पर वाहन देते हैं। उस पर क्या लदा हुआ था इसकी जानकारी उसे नहीं है तथा अपराध में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है। गाड़ी चोरी की संपत्ति होने का कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। सहअभियुक्तों के द्वारा मेवेशी के खरीद के संबंध में रसीद की छायाप्रति दाखिल की गई है। केस डायरी की कंडिका 27 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सहअभियुक्त को विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज के द्वारा नियमित जमानत का लाभ दिया जा चुका है।

लगातार..
17.06.2026

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आवेदक **राजतिलक** को इस आदेश के 15 दिनों के अंदर गिरफ्तारी अथवा आत्मसमर्पण की दशा में 10,000/—रुपये के समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत एवं भा0ना0सु0सं0 की धारा—482(2) के प्रावधानों के शर्तों को पालन करते हुए अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन एतद्द्वारा **स्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश, दशम्
गोपालगंज